न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 26/2022(2022/70)

1. सायरी पत्नी स्व श्री हरिराम।
2. रमेश पुत्र स्व. श्री हरिराम।

समस्त जाति नाई(बाबर) निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

––वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र बिरदीचन्द जाति नाई निवासी बाघानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकड़ी जिला अजमेर।
3. पुष्प देवी पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी भट्टों रास्ता छगनपुरा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

–प्रतिवादीगण

4. लालचन्द पुत्र स्व. हरिराम।
5. सीता उर्फ लाली पुत्री स्व. हरिराम।

समस्त जाति नाई(बाबर) निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

–प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री शिवप्रसाद पाराशर – वकील वादी
श्री नवल किशोर पारीक– वकील प्रतिवादी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाप्ता दीवानी एवं अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 तथा सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी)

आदेश

दिनांक 24.6.2022

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाप्ता दीवानी एवं अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 तथा सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश किया प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है –

उक्त प्रकरण में आज दिनांक माननीय न्यायालय में विचाराधीन है खाता संख्या 877–822 खसरा संख्या 6035/0.38, 6563/0.02, 6564/0.72, 6578/0.30 हैक्टर वाके ग्राम केकड़ी पटवार मण्डल केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात के बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व वाद 302/2016(2016/00577) दिनांक 04.01.2022 को निर्णित कर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया गया एवं इस आशय की डिक्री पर्चा जारी किया गया। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात बाबत विवाद्यक के विषय उसी हक के अधीन व्युत्पन्न अधिकार के बाबत् निर्णय कर चुका है जिसमे वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्ववर्ती वाद में विवाद्यक रहे हैं न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती वाद के विवाद्यक के बारे मे सुना जाकर अन्तिम रूप से विविनिश्चत किया जा चुका है वादीगण का वाद हेतुक प्रकट नही करता है एवं वाद विधि द्वारा–वर्जित होने से वाद नामन्जूर किया जाना न्याय संगत है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के वाद के विवाद्यक पूर्व म विनिश्चत एवं विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 7 नियम 11 तथा सपठित धारा 151 मे वादीगण की ओर से जवाब पेश नही करना चाहते। बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि दोनो

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

दावो में वादी पक्षकार नहीं था तथा पूर्व में श्रीमान के आदेश विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर में विचाराधीन है। प्रतिवादी ने बहस में अपने कथनों को दोहराया प्रतिवादी अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में उक्त प्रकरण निर्णित हो चुका है तथा उक्त निर्णित प्रकरण का न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर में विचाराधीन है पक्षकारान की बहस सुनी गई।

कथित पक्षकार की बहस पर गौर किया अन्तर्गत धारा 11 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 7 नियम 11 तथा सपठित धारा 151 के तहत उक्त प्रकरण पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें न्यायालय के आदेश से प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया गया एवं इस आशय की डिक्री पत्री जारी किया गया। इस बाबत उक्त प्रकरण पूर्व में विनिश्चित एवं विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर में विचाराधीन होने से न्यायालय द्वारा इस वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner